

कुलसचिव

पत्रांक:-कु०स०-समिति/6486 /शोध अध्यादेश/2011

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

दिनांक:- 25 अप्रैल, 2011

विज्ञप्ति

प्रवेश समिति एवं अधिकारियों की बैठक दिनांक- 30.03.2011 के "बिन्दु संख्या-05" में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि "यू०जी०सी० रेगुलेशन 2009 द्वारा निर्धारित 10 मापदण्ड के बिन्दुओं में से 07 बिन्दु जुलाई, 2009 के पूर्व शोध उपाधि प्राप्त करने वाले अथवा पंजीकरण कराने वाले शोध छात्रों द्वारा पूर्ति की जा रही है। अतः ऐसे छात्रों को रेगुलेशन 2009 से आच्छादित मान्य किया जाय।" प्रवेश समिति के इस निर्णय को विद्या परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 02-4-2011 एवं कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 12-4-2011 में अनुमोदित एवं स्वीकार किया है।

उपर्युक्त के आलोक में 2009 के पूर्व शोध उपाधि प्राप्त करने वाले अथवा पंजीकरण कराने वाले शोध छात्रों की शोध उपाधि रेगुलेशन 2009 से आच्छादित एवं मान्य है।

(आई०पी० झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा०कुलपति जी- सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक(गोपनीय)।
3. श्री नरेन्द्र मिश्र, प्रभारी-संगणक केन्द्र को इस आशय से कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

11/6

25
कुलसचिव
25.04.11